संoसंo–11/टी0बी0(स्था0)–24/2018..................(11)

मेल/निबंधित

स्वास्थ्य निदेशालय

बिहार, पटना

प्रेषकः–

डा० आर0डी0 रंजन,
निदेशक प्रमुख, (रोग नियंत्रण)
स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना।

सेवा में,

श्री उपेन्द्र कुमार, बी0सी0जी0, प्रावैधिक, राज्य यक्ष्मा कार्यालय,अगमकुऑ, पटना।
श्री अशोक कुमार, बी0सी0जी0 प्रावैधिक, जिला यक्ष्मा केन्द्र, अररिया
श्री सुनील कुमार शास्त्री, बी0सी0जी0 प्रावैधिक, जिला यक्ष्मा केन्द्र, पूर्णिया
श्री नागदेव यादव, बी0सी0जी0 प्रावैधिक, रा0कार्य0पदा0 कार्यालय, अगमकुऑ, पटना
श्री योगेन्द्र प्रसाद, बी0सी0जी0 प्रावैधिक, जिला यक्ष्मा केन्द्र, सदर अस्पताल, मधुबनी।
श्री वकील प्रसाद, बी0सी0जी0 प्रावैधिक, जिला यक्ष्मा केन्द्र, सारण, छपरा।
श्री सुनील शर्मा, बी0सी0जी0 प्रावैधिक, जिला यक्ष्मा केन्द्र, गोपालगंज।
श्री सुरेश प्रसाद, बी0सी0जी0 प्रावैधिक, जिला यक्ष्मा केन्द्र, गोपालगंज।
श्री हरेन्द्र राय, बी0सी0जी0 प्रावैधिक, जिला यक्ष्मा केन्द्र, गोपालगंज।
श्री कुमार दीपक, बी0सी0जी0 प्रावैधिक, जिला यक्ष्मा केन्द्र, गोपालगंज।
श्री चन्द्र किशोर सिंह, बी0सी0जी0 प्रावैधिक, जिला यक्ष्मा केन्द्र, गोपालगंज।
श्री योगेन्द्र सिंह, बी0सी0जी0 प्रावैधिक, जिला यक्ष्मा केन्द्र, प0 चम्पारण, बेतिया।
श्री राम वली सिंह, बी0सी0जी0 प्रावैधिक, जिला यक्ष्मा केन्द्र, मधुबनी।
श्री अर्जुन प्रसाद, बी0सी0जी0 प्रावैधिक, जिला यक्ष्मा केन्द्र, मधुबनी।
मो0 इकराम खाँ, बी0सी0जी0 प्रावैधिक, जिला यक्ष्मा केन्द्र, मधुबनी।
श्री रमेश चन्द्र वर्मा, बी0सी0जी0 प्रावैधिक, जिला यक्ष्मा केन्द्र, मधुबनी।
श्री देवेन्द्र प्रसाद साव बी0सी0जी0 प्रावैधिक, जिला यक्ष्मा केन्द्र, मधुबनी।
श्री पवन कुमार सिंह, बी0सी0जी0 प्रावैधिक, जिला यक्ष्मा केन्द्र, मधुबनी।
श्री राकेश कुमार सिंह, बी0सी0जी0 प्रावैधिक, जिला यक्ष्मा केन्द्र, बेतिया।
श्री सुरेश प्रसाद बैठा, बी0सी0जी0 प्रावैधिक, जिला यक्ष्मा केन्द्र, सारण, छपरा।
श्री मदन प्रसाद, बी0सी0जी0 प्रावैधिक, जिला यक्ष्मा केन्द्र, बेतिया।
श्री उमेश पंडित, बी0सी0जी0 प्रावैधिक, टी0बी0डी0सी0, पटना।
श्री महेन्द्र प्रसाद, बी0सी0जी0 प्रावैधिक, जिला यक्ष्मा केन्द्र, सिवान।
श्री ब्रज भूषण सिंह, बी0सी0जी0, प्रावैधिक, जिला यक्ष्मा केन्द्र, सिवान।
श्री मुशन लाल, बी0सी0जी0, प्रावैधिक, जिला यक्ष्मा केन्द्र, सिवान।
श्री आवनेन्द्र कुमार, बी0सी0जी0, प्रावैधिक, जिला यक्ष्मा केन्द्र, सिवान।
श्री राम प्रवेश राम, बी0सी0जी0, प्रावैधिक, जिला यक्ष्मा केन्द्र, सिवान।
श्री दिलीप कुमार सिंह, बी0सी0जी0, प्रावैधिक, जिला यक्ष्मा केन्द्र, सीतामढ़ी।
श्री अरूण कुमार, बी0सी0जी0, प्रावैधिक, जिला यक्ष्मा केन्द्र, मधेपुरा
श्री रामाधार सिंह, बी0सी0जी0, प्रावैधिक, जिला यक्ष्मा केन्द्र, मधुबनी
श्री सुरेन्द्र कुमार, बी0सी0जी0 प्रावैधिक, जिला यक्ष्मा केन्द्र, सीतामढ़ी।
श्री जयदेव कुमार, बी0सी0जी0 प्रावैधिक, जिला यक्ष्मा केन्द्र, पूर्णिया।
श्री उपेन्द्र कुमार, बी0सी0जी0, प्रावैधिक, जिला यक्ष्मा केन्द्र, कटिहार।
श्री रामप्रवेश सिंह, बी0सी0जी0 प्रावैधिक, जिला यक्ष्मा केन्द्र, कटिहार।
श्री उमेश कुमार, बी0सी0जी0 प्रावैधिक, जिला यक्ष्मा केन्द्र, नालंदा।

पटना, दिनांक– / /2019

विषयः **विज्ञापन संख्या–01/97 के अन्तर्गत अवमाननावाद संख्या–1711/2016, अरविन्द्र प्रसाद एवं अन्य बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में दिनांक–16.08.2018 एवं दिनांक–31.08.2018 को पारित न्यायादेश के आलोक में नवनियुक्त बी0सी0जी0 प्रावैधिक के द्वारा उक्त पद पर**

हुई प्रथम नियुक्ति की तिथि के प्रभाव से नियुक्ति तिथि का निर्धारण हेतु आपके द्वारा प्रेषित अभ्यावेदनों के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक कहना है कि विज्ञापन संख्या–01/97 के अन्तर्गत अवमाननावाद संख्या–1711/2016, अरविन्द्र प्रसाद एवं अन्य बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में दिनांक–16.08.2018 एवं दिनांक–31.08.2018 को पारित न्यायादेश के आलोक में नवनियुक्त बी0सी0जी0 प्रावैधिक के द्वारा उक्त पद पर हुई प्रथम नियुक्ति की तिथि के प्रभाव से नियुक्ति तिथि का निर्धारण हेतु आपके द्वारा प्रेषित अभ्यावेदनों की समीक्षा की गई। समीक्षा से स्पष्ट होता है कि आपकी नियुक्ति अवमाननावाद संख्या–1711/2016 अरविन्द प्रसाद एवं अन्य बनाम् राज्य सरकार एवं अन्य में दिनांक–16.08.2018 एवं दिनांक–31.08.2018 को पारित न्यायादेश के आलोक में बी0सी0जी0 प्रावैधिक के पद पर निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ के ज्ञापांक–936(11), दिनांक–15.09.2018 तथा पदस्थापन ज्ञापांक–981(11), दिनांक–28.09.2018 के द्वारा राज्य के विभिन्न जिला यक्ष्मा केन्द्रों/संस्थानों में किया गया। आपके द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदनों के आलोक में निम्नांकित बिन्दु विचारणीय हैः–

1. आपकी नियुक्ति विज्ञापन संख्या–01/97 के आलोक में बिहार लोक सेवा आयोग की अनुशंसा पर अवमाननावाद 1711/2016 अरविन्द प्रसाद एवं अन्य बनाम् राज्य सरकार एवं अन्य (सिविल रिव्यू संख्या–133/2003 सुदर्शन प्रसाद सिंह एवं अन्य बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में दिनांक–10.09.2014 को पारित न्यायादेश से उद्भूत) में दिनांक–16.08.2018 एवं दिनांक–31.08.2018 को पारित न्यायादेश के आलोक में बी0सी0जी0 प्रावैधिक के पद पर निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ के ज्ञापांक–936(11), दिनांक–15.09.2018 तथा पदस्थापन ज्ञापांक–981(11), दिनांक–28.09.2018 के द्वारा राज्य के विभिन्न जिला यक्ष्मा केन्द्रों/संस्थानों में की गई है। उक्त अवमाननावाद में नियुक्ति की तिथि का निर्धारण के संबंध में किसी तरह का आदेश नहीं है।

2. उल्लेखनीय है कि निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार के द्वारा प्रकाशित विज्ञापन संख्या–01/97 में बी0सी0जी0 प्रावैधिक के पद हेतु योग्यता/अर्हता प्रवेशिका उत्तीर्ण (सरकारी संस्थान से प्रशिक्षित) रखा गया था। बिहार लोक सेवा आयोग से उक्त पद पर नियुक्ति हेतु प्राप्त अनुशंसा के आलोक में विज्ञापन की शर्तो के अनुरूप राज्य में प्रशिक्षण हेतु स्थापित दो यक्ष्मा संबंधित प्रशिक्षण केन्द्र टी0बी0डी0सी0, पटना/दरभंगा से प्रशिक्षित उम्मीदवारों की ही नियुक्ति प्रथम समव्यवहार में दिनांक–16.03.2000 एवं दिनांक–26.03.2000 को निर्गत पत्र के द्वारा की गई। आपके द्वारा प्राप्त प्रशिक्षण उपयुक्त नहीं होने के कारण तत्समय नियुक्ति नहीं की गई। विदित हो कि माननीय उच्चतम न्यायालय में दायर अवमाननावाद संख्या–270–71/1997 में दिनांक–03.11.1997 को पारित न्यायादेश के आलोक में माननीय पटना उच्च न्यायालय में गठित Monitoring Bench के द्वारा अवमाननावाद संख्या–2828/1998 में विभिन्न तिथियों को पारित न्यायादेशों में विज्ञापन की शर्तो के अनुरूप प्रशिक्षण नहीं रहने के कारण आपकी नियुक्ति की मांग को अस्वीकृत करते हुए दिनांक–25.01.2006 को नियुक्ति संबंधी मामले को बन्द कर दिया गया।

3. सिविल रिव्यु संख्या–133/2003 सुदर्शन प्रसाद सिंह एवं अन्य बनाम राज्य सरकार एंव अन्य में दिनांक–10.09.2014 को पारित न्यायादेश में सीधे नियुक्ति हेतु कोई Mandamus नहीं रहने के कारण नियुक्ति की कार्रवाई नहीं की जा सकी।

4. जहॉ तक आपके द्वारा समादेश याचिका संख्या–20654/2010 राजनारायण एवं अन्य बनाम राज्य सरकार एवं अन्य एवं समादेश याचिका संख्या–16468/2016 चन्द्रकांत कुमार एवं अन्य बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में पारित न्यायादेश के आलोक में संबंधित पदों पर हुई प्रथम नियुक्ति की तिथि को वैचारिक योग्यदान की तिथि एवं अन्य वैचारिक लाभ तथा पुरानी पेंशन

योजना का लाभ देने का उल्लेख किया गया है, इस संबंध में स्पष्ट करना है कि उक्त दोनों मामलों में नियुक्ति की कार्रवाई वर्ष 2002 में ही प्रारम्भ हो गई थी एवं संबंधित उम्मीदवारों के हस्ताक्षर में त्रुटि/डाक प्रेषण आदि में विसंगति रहने के कारण, Monitoring Bench के द्वारा पारित न्यायादेश के आलोक में दिनांक–01.09.2005 (नई पेंशन योजना प्रारम्भ होने की तिथि) के पूर्व नियुक्ति की प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी गई थी एवं कतिपय कारणों से उनकी नियुक्ति दिनांक–26.11.2005 को की गई, जबकि आपके मामले में Monitoring Bench के द्वारा उक्त अवमाननावाद में नियुक्ति की मांग को अस्वीकृत करते हुए माह जनवरी 2006 में मामले को पूरी तरह बन्द कर दिया गया। चूँकि माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के आलोक में माननीय पटना उच्च न्यायालय में गठित Monitoring Bench के द्वारा उपयुक्त प्रशिक्षण नहीं रहने के कारण नियुक्ति की मांग को अस्वीकृत कर दिया गया था इसलिए पूर्व में संबंधित पद पर नियुक्ति किये जाने का मामला बनता ही नहीं था।

5. आपके द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदनों में माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा पारित न्यायादेश के आलोक में पूर्व की सेवा को पेंशन के लिए गणना करने संबंधी उल्लेख किया गया है। इस संबंध में स्पष्ट करना है कि दिनांक–31.08.2005 के बाद राज्य सरकार की सेवा में नियुक्त कर्मियों के लिए नयी पेंशन योजना का प्रावधान है, तथा बिहार पेंशन नियमावली के अन्तर्गत 10 वर्षों की सेवा के पश्चात् ही सेवा पेंशन प्रदायी मानी जाती है। वर्तमान में इस प्रकार की माँग अप्रासंगिक है।

6. उक्त तथ्यों के आलोक में स्पष्ट है कि आपकी नियुक्ति अवमाननावाद संख्या–1711/2016 में दिनांक–16.08.2018 एवं दिनांक–31.08.2018 के आलोक में ही की गई है, जिसमें नियुक्ति की तिथि का निर्धारण अथवा किसी भी अन्य प्रकार के वैचारिक लाभ संबंधी कोई भी आदेश/निदेश नहीं है।

अतएव बी0सी0जी0 प्रावैधिक के पद पर वर्ष 2000 में की गई प्रथम नियुक्ति के प्रभाव से नियुक्ति की तिथि का निर्धारण, अन्य वैचारिक लाभ एवं पुरानी पेंशन योजना की मांग किया जाना अतार्किक एवं असंगत पाये जाने के कारण आपके द्वारा प्रेषित अभ्यावेदनों को अस्वीकृत किया जाता है।

विश्वासभाजन,

ह0/–

(डा० आर0डी0 रंजन)
निदेशक प्रमुख,(रोग नियंत्रण)
स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना।

ज्ञापांक:–11/टी0बी0 (स्था0)–24/2018–292(11)/ दिनांक 25/3/2019
प्रतिलिपि:– आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को विभागीय पोर्टल पर अपलोड करने हेतु।

20/3/19

निदेशक प्रमुख (रोग नियंत्रण)
स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना।

D:\Navin kr. Thakur\T.B\ASHTH All.docx